628,1014/630,1004/322 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा सांडिला के खेत खसरा संख्या 628,1014/630,1004/322 का विभाजन/बंटवाड़ा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी रामचन्द्र के हक बंट में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 628 रकबा 58.08 बीघा में से 10 बीघा दक्षिणी भाग व खसरा नंबर 1014/630 रकबा 6.18 बीघा, खसरा नंबर 1004/322 रकबा 12.15 बीघा में से 3.04 बीघा उतरी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी मोहनराम के हक बंट में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 628 रकबा 58.08 बीघा में से 16.18 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 1004/322 रकबा 12.15 बीघा में से 3.04 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मेहराम के हक बंट में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 628 रकबा 58.08 बीघा में से 21.04 बीघा पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार एवं इसी खसरे में से 10.06 बीघा पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 1005/322 रकबा 12.15 बीघा में से 6.07 बीघा दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचना कर अद्यतन करवाना करवाने पर रेकर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner